देवघर समाहरणालय

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

दिनांक : 02/06/2017

अधिसूचना संख्या 389/भू अ0

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :–**ठेंगाडीह**, थाना :–**सारठ**, थाना सं०–**391**, अंचलः– **पालाजोरी**, जिला :–**देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना– **नोनीहाट– बासुकीनाथ– केराबानी– पालाजोरी–बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :– **ठेंगाडीह**, थाना :–**सारठ**, थाना सं०–**391**, अंचलः–**पालोजोरी**, जिला :–**देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **2.50** एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11	597	रैयती	धानी–1	0.20	राधाकृष्ण साह पिता स्व0 भोला साह वो अजय साह वो बीबी साह वो पप्पु साह पिता स्व0 रामनाथ साह।	दाग सं0 594	दाग सं0 598	रास्ता	दाग सं0 595
2	11	594	रैयती	धानी–2	0.31	तथैव				
3	33	592	रैयती	धानी–1	0.12	भोजड़ा सोरेन पिता बड़का सोरेन वो जय राम सोरेन पिता परमेश्वर सोरेन वो रोबिन सोरेन पिता लेड़हा सोरेन वो राजेश सोरेन पिता भुपिन सोरेन।				
4	33	591	रैयती	धानी–1	0.17	तथैव				
5	33	590	रैयती	धानी–1	0.07	तथैव				
6	33	589	रैयती	धानी–1	0.16	तथैव				
7	33	588	रैयती	धानी–2	0.20	तथैव				
8	33	554	रैयती	धानी–3	0.14	तथैव				
9	33	555	रैयती	धानी–3	0.07	तथैव				
10	25	586	रैयती	धानी–1	0.10	मानिक मंडल वो भरत मंडल पे0 स्व0 आनन्द मंडल वो अनिमा मंडलाईन पति सरत मंडल वो उत्तम कुमार वो सप्पन कुमार पे0 स्व0 श्री नाथ मंडल वो अनंत मंडल वो बैधनाथ मंडल पे0 स्व0 गुलाम मंडल वो दासी देवी पे0 स्व0 सर्वेश्वर मंडल वो मंसा मंडलाईन वो सरस्वती मंडलाईन पे0 स्व0 सुधीर मंडल वो पाखी मंडलाईन पति विपत्त मंडल वो जीतू मंडल वो सुनील मंडल वो पोरीख मंडल पे0 स्व0 धनराज मंडल वो लखीवाला दासी पति अनिल मंडल वो मधुसुदन मंडल वो पलट मंडल वो परेश मंडल वो स्व0 गोविन्द मंडल।				
11	25	556	रैयती	धानी–3	0.23	तथैव				
12	25	559	रैयती	धानी–3	0.48	तथैव				

13	25	564	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव					
14	25	558	रैयती	धानी–3	0.08	तथैव					
15	25	562	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव					
16	25	557	रैयती	धानी–3	0.03	मानी देवी पिता गोपाल मंण्डल वो सुशील मण्डल पे0 स्व0 विशु मंडल वो लावी मंडल पे0 महान मंडल वो शिबू मंडल माता–स्व0 दानी मंडलाईन।					
17	25	563	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव					
18	25	561	रैयती	धानी–3	0.08	तथैव					
			कुल योग–		2.50						

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 389 / भू अ0, देवघर, दिनांक 02/06/2017/

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण / पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त
देवघर।

E/2015 LA/ All project for road/Nonihat Bagdaha /Thenghadih